

पुलिस अधीक्षक, जनपद अमरोहा श्रीमती सुनीति के निर्देशन में आज दिनांक-03.03.2021 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा पर्चा सट्टा की खाईबाडी करने वाला अभियुक्त नायाब पुत्र अमानत शाह निवासी मौ0 रेता मुरादाबादी गेट थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा को मय पर्चा सट्टा व 1240 रुपये नगद सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना अमरोहा देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त राशिद पुत्र मौहम्मद आरिफ निवासी मौ0 दानिशमन्दान थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा को मय 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा अभियुक्त अरुण कुमार उर्फ अन्ता पुत्र आकाश पाल निवासी ग्राम पपसरा बांगर थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा को मय अवैध शस्त्र 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना रजबपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त भूरे पुत्र रियाजूद्दीन निवासी ग्राम अतरासी कलां थाना रजबपुर जनपद अमरोहा को मय अवैध शस्त्र 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना बछरायूं पुलिस द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मारकर मृत्यु कारित करने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त मुकर्रम पुत्र रुस्तम निवासी ग्राम शहवाजपुर ढोल थाना गजरौला जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना आदमपुर पुलिस द्वारा घर में घुसकर मारपीट व गाली गलौच करने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र भगवान दास निवासी ग्राम आरतपुर माजरा थाना आदमपुर जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना आदमपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त परम सिंह पुत्र उदल सिंह निवासी ग्राम चकफेरी थाना आदमपुर जनपद अमरोहा को मय 15 लीटर अवैध कच्ची शराब के गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 16 व्यक्तियों का चालान धारा 151 द0प्र0सं0 में किया गया। जिसमें थाना डिडौली पुलिस द्वारा 05 व्यक्ति, थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा 03 व्यक्ति, थाना बछरायूं पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति व थाना रहरा पुलिस द्वारा 06 व्यक्तियों का धारा 151 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया गया।